अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील प्रकरण सं0 74/16

नन्दराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी चूनावढ तहसीप व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्री गंगानगर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत, चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपील विरूद्व इंतकाल सं0 145 दिनांक 18–5–93 उप तहसीलदार,चूनावढ

आदेश दिनांक : 10–1–17

प्रस्तुत अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक विवेक का उपयोग किये संपरिवर्तन आदेश में वाणिज्यक उपयोग के बावजूद रकबा आबादी भूमि में दर्ज करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट अपीलाधीन भूमि का उपयोग वाणिज्यक में करता आ रहा है। सरपंच द्वारा मौखिक आदेश दिया गया कि रकबा पर कब्जा हटाकर पंचायत को भूमि समर्पित कर दें। इस पर ग्राम पंचायत को संपरिवर्तन आदेश की प्रति दिखाई गई तथा कहा गया कि रकबा पूर्व में अपीलांट का खातेदारी था तथा कृषि भूमि को वाणिज्यक भूमि में दर्ज करवाने का दिनांक 23–3–93 का आदेश है, लेकिन इंतकाल में सहबन से वाणिज्यक भूमि की जगह आबादी भूमि दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत इंतकाल में संशोधन का आदेश दिया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालयसे तलब किया गया।बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करते समय वाणिज्यक भूमि की बजाय आबादी भूमि दर्ज कर दिया गया है जबकि संपरिवर्तन आदेश में वाणिज्यक भूमि दर्ज है। अतः अपील स्वीकार की जाकर संशोधन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस का विरोध नहीं किया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गय अभिलेख का अवलोकन किया गया। संपरिवर्तन आदेश दिनांक 23–3–93 के अनुसार चक 30 जी जी का मु0 नं0 47 का कि0 नं0 1 व 10 में 20 गुणा 330 फीट 733.33 वर्गमीटर कृषि भूमि को वाणिज्यक भूमि में परिवर्तन का आदेश पारित किया गया था। इसके आधार पर अपीलाधीन इंतकाल सं0 145 जो दिनांक 18–5–93 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, के कॉलम सं0 9 में आबादी भूमि अंकित कर दिया गया है। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत इंतकाल पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन इंतकाल सं0 145 दिनांक 18–5–93 इस सीमा तक निरस्त किया जाता है कि अपीलाधीन इंतकाल के कॉलम सं0 9 में आबादी भूमि के स्थान पर वाणिज्यक भूमि दर्ज की जावे। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 10–1–17 को मेरेद्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/1/17

(करतारसिंह पूनिया)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner